भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 195

दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना

***195. श्री भर्तृहरि महताबः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में कितने राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना चल रही है;

(ख) क्या सरकार की देश के सभी राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, ती तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

******

'महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना' के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब द्वारा 15.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 195* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) स्कीम कार्यान्वित की, जिन्होंने पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया और संकटग्रस्त महिलाओं की मदद की। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, शुरुआत में 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम का अनुमोदन किया गया था, जिनमें से 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम और त्रिपुरा द्वारा इसे प्रचालित किया गया था।

नीति आयोग द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) स्कीम का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था। उक्त अध्ययन में इस स्कीम की संस्थागत संरचना और कार्यान्वयन में अपर्याप्तताएं पाई गईं। तृतीय पक्ष मूल्यांकन के निष्कर्षों, पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/हितधारकों के परामर्श से, महिला पुलिस स्वयंसेवक स्कीम को दिनांक 01.04.2022 से बंद कर दिया गया है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु एक व्यापक स्कीम, 'मिशन शक्ति' के अन्य घटकों के तहत उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है।

*****